# फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध GCMS नंबर 2024/424 बअनवान मोतीराम बनाम हुकमाराम वगेरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 12.05.26 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री छगनलाल उपस्थित। आदेशिका दिनांक 24.03.2026 में पत्रावली को संवहन से जवाब/बहस प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व बहस प्रा.प. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के स्तर पर लंबित होना बताया है। उक्त त्रुटि को सुधार करते हुये पत्रावली को मूल वाद की आदेशिका अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत किया जाता है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिंदुओ प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपुरणीय क्षति के बिंदुओं पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम बोया के खसरा नंबर 547/1347 रकबा 1.0000 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)<br><br>सहायक कलक्टर एवं पदेन<br>उपखण्ड अधिकारी, बाली<br>सहायक कलक्टर एवं पदेन<br>उपखण्ड अधिकारी, बाली | |

Scanned with OKEN Scanner